21-3-18 लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित। अप्रार्थी सं० 05 के का० ध० की कार्यवाही हेतु व आख्या प्रस्तुत करने हेतु लैण्ड होल्डर को लिखा जावे पत्रावली दि० 21-3-18 को पेश हो।

21-3-18 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-4-18
को पेश हो।

रीडर

13-4-18 दि० 18-4-18 का अवकाश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित है। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित है। अप्रार्थीगण के वकील ने एक प्रा०पत्र इस आशय का पेश किया है कि उन्होने विवादग्रस्त क्षेत्र का मोबाइल टावर हेतु भूमि रूपान्तरण करवा लिया है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ वकील अप्रार्थीगण ने भूमि संपरिवर्तन आदेश दि० 26-3-18 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत भूमि रूपान्तरण आदेश का अवलोकन किया गया। आदेशानुसार भूमि ख०नं० $\frac{3880}{0.95}$ ग्राम वजीरपुर मे 221 वर्गमीटर भूमि का मोबाइल टावर हेतु वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण उपजिलाकलक्टर वजीरपुर द्वारा किया गया है। प्रस्तुत वाद भी लैण्ड होल्डर व इसी रकबे का तहसीलदार वजीरपुर ने इसी नम्बर का प्रस्तुत किया है।

चूंकि अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि का भूमि रूपान्तरण करवा लिया है इसलिए अब इस पत्रावली मे कार्यवाही अपेक्षित नही

रहती है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार टाजीरपुर को प्रेषित की जावे।

(हस्ताक्षर)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)